अनु0-3

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

सं0-1/पी0सी0आर0(विविध)-09-05/2012- 560

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 6/3/12

विषय- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 एवं नियम-1995 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर आयोजित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-1041 दिनांक-4/5/2011 का संदर्भ किया जाय।

2- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 के नियम-17 के आलोक में जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में **"जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति"** का गठन किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति के पुर्नगठन हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव मांगा गया था। **कटिहार, पूर्णियां, सिवान, दरभंगा एवं सहरसा** जिला को छोडकर सभी जिला से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है, जिनपर अनुमोदन की कार्रवाई की जा रही है।

3- उक्त नियम 1995 के नियम-17 के आलोक में **"जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति'** की तीन माह में कम-से-कम एक बार बैठक की जानी है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि कई जिलों में इन समिति की नियमित बैठकें नहीं होती है। राज्यस्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति में प्राप्त निदेश के आलोक में इन समितियों की बैठक का रोस्टर निम्नांकित रूप से निर्धारित किया जाता है:-

प्रत्येक तीन माह पर बैठक की तिथि :-

अप्रैल - जून	25 मई , 2012
जुलाई - सितम्बर	13 जुलाई, 2012
अक्टूबर - दिसम्बर	13 अक्टूबर, 2012
जनवरी -- मार्च	13 जनवरी, 2013

अगर उपरोक्त निर्धारित तिथि के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में बैठक करना संभव नहीं हो तो ये बैठक अगले कार्य दिवस पर की जा सकती है। कृपया बैठक की कार्यवाही बैठक के 15 दिनों के अन्दर इस विभाग को भी निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चत करें।

विश्वासभाजन,

ह0/- 5/3/12
(रवि परमार)
सरकार के सचिव।

(31)

(24)

बिहार सरकार
<u>अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग</u>
सं0–1 / पी0सी0आर0(विविध)–09–05 / 2012– 1279

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 14/6/12

विषय– **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 एवं नियम–1995 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर आयोजित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–1041 दिनांक–4 / 5 / 2011 एवं विभागीय पत्रांक–560 दिनांक–6 / 3 / 2012 का संदर्भ किया जाय।

2– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 के नियम–17 के आलोक में जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में **"जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति"** का गठन किया गया है। दिनांक–10–04–2012 को आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने निर्धारित रोस्टर के अनुसार बैठक नही किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया है।

3– उक्त नियम 1995 के नियम–17 के आलोक में **"जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति'** की तीन माह में कम–से–कम एक बार बैठक की जानी है। दिनांक–10–04–2012 को आयोजित राज्यस्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति की बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में उक्त समिति की बैठक विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार ससमय आयोजित की जाय।

प्रत्येक तीन माह पर बैठक की तिथि :–

अप्रैल – जून	**25 मई , 2012**
जुलाई – सितम्बर	**13 जुलाई, 2012**
अक्टूबर – दिसम्बर	**13 अक्टूबर, 2012**
जनवरी – मार्च	**13 जनवरी, 2013**

❖ अगर उपरोक्त निर्धारित तिथि के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में बैठक करना संभव नहीं हो तो ये बैठक अगले कार्य दिवस पर की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति की बैठक नियमित आयोजित करते हुए बैठक की कार्यवाही बैठक के 15 दिनों के अन्दर इस विभाग को भी निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

13/6/12

निदेशक।

ज्ञापांक–1 / पी0सी0आर0(विविध)–09–05 / 2012– 1279 पटना, दिनांक– 14/6/12

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उप निदेशक, कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/6/12
निदेशक।

ameshwar babu sanjay